भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 140

दिनांक 2 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

महिला सशक्तिकरण हेतु योजनाएं

140. श्रीमती नवनित रवि राणाः
श्री रमेश चन्द्र कौशिक:
श्रीजुगलकिशोर शर्मा:
श्री सुनील कुमार पिन्टू:
श्रीमती गीता कोडा:
श्रीमती रमा देवी:
श्री अजय कुमार मंडल:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सोनीपत, शिवहर, भागलपुर, जम्मू, अमरावती, सीतामढ़ी और सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान किसी भी स्रोत के माध्यम से उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में आवंटित और उपयोग की गई निधि वर्ष-वार और योजना-वार कितनी है;

(घ) क्या सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए कोई कार्यक्रम चला रही है और यदि हां, तो उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार बेहतर पोषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा प्रदान करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत और उन्नत कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (घ): बेहतर कार्यान्वयन और कुशल निगरानी के लिए सोनीपत, शिवहर, भागलपुर, जम्मू, अमरावती, सीतामढ़ी और सिंहभूम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सहित देश भर में सहित महिलाओं और बच्चों

के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही सभी केंद्र प्रायोजित स्कीमों को तीन कार्यक्रमों (वर्टिकल्स) अर्थात (1) देश में पोषण संकेतकों में सुधार के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) बच्चों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में मिला दिया गया है। इस स्कीम का विवरण निम्नानुसार है:

(i) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0)**: इस कार्यक्रम के अंतर्गत, आंगनवाड़ी सेवा स्कीम, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए स्कीम को 3 प्राथमिक कार्यक्रमों (वर्टिकल्स) (i) पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता, (ii) प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा [3-6 वर्ष] और (iii) आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ियों सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) **मिशन शक्ति**: मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा तथा महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए क्रमश **'संबल'** और **'सामर्थ्य'** नामक दो उप-स्कीमें शामिल हैं। वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (181-डब्ल्यूएचएल) और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) की मौजूदा स्कीमों को संबल उप-स्कीम का हिस्सा बनाया गया है; जबकि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), उज्ज्वला, स्वाधार गृह (शक्ति सदन के रूप में पुनर्नामित) और कामकाजी महिला छात्रावास (सखी निवास के रूप में पुनर्नामित) और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय हब (एनएचईडब्ल्यू) और राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम (पालना के रूप में पुनर्नामित) की मौजूदा स्कीमों को "**सामर्थ्य**" में शामिल किया गया है।

(iii) **मिशन वात्सल्य** : (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता करने और उनका पोषण करने (ii) विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करने (iii) नवोन्वेषी समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन फील्ड परियोजनाओं हेतु अवसर प्रदान करने (iv) यदि आवश्यक हो तो अंतराल वित्तपोषण द्वारा ठोस अभिसरण कार्रवाई करने आदि उद्देश्यों के साथ मिशन मोड में देखभाल और जरूरतमंद बच्चों के लिए बेहतर आउटरीच तथा सुरक्षा हेतु एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) को मिशन वात्सल्य में शामिल कर दिया गया है।

विगत पांच वर्ष के दौरान उपर्युक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत शामिल किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है ।

मंत्रालय की योजनाओं के तहत मिशन शक्ति के तहत 2 घटकों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) को छोड़कर निधियां सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जाती हैं, जबकि

वित्त वर्ष 2021-22 तक सीधे जिलों को निधियां जारी की गई थीं। उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में उपर्युक्त स्कीमों के अंतर्गत आबंटित/जारी की गई निधियों का जिला-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ड.) और (च): सरकार ने आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने और उन्नत करने के उद्देश्य से मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत कई उपाय किए हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

i. मनरेगा के साथ अभिसरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए लागत मानदंडों को प्रति आंगनवाड़ी केन्द्र 7 लाख से रूपए से संशोधित कर 12 लाख प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है।

ii. शौचालय के निर्माण हेतु स्वीकृत इकाई लागत को 12,000/- रूपये से बढ़ाकर 36000/-रूपए प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है और पेयजल की उपलब्धता के लिए अनुमोदित लागत को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 17000 रुपये प्रति आंगनवाड़ी केंद्र कर दिया गया है, जिसे लागत भागीदारी अनुपात के अनुसार केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वहन किया जाएगा

iii. पर्याप्त बुनियादी ढांचे के बिना किराए पर चल रहे आंगनवाड़ी केंद्रों को समीप के प्राथमिक विद्यालयों में, जहां स्थान उपलब्ध है, स्थापित करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश जारी किए गए हैं।

iv.15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान, प्रति वर्ष 40,000 आंगनवाड़ी केंद्रों की दर से 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण वितरण और बाल्यावस्था की देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ियों के रूप में उन्नत किया जाएगा।

(v) सरकार ने एक कार्यकर्त्री वाले सभी लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को एक कार्यकर्त्री और एक सहायक के साथ पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्र में स्तरोन्नयन करने का निर्णय लिया है। 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संस्वीकृत 1,16,852 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में से 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 54,962 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 02.02.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं 140 के उत्तर के भाग (क)से(घ) में उल्लिखित विवरण

मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों की संख्या

I. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0)

(31.03.2023 स्थिति के अनुसार)

क्रम सं	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *	जिला	बच्चों की कुल संख्या (6 माह – 3वर्ष)	बच्चों की कुल संख्या (3 माह – 6वर्ष)	गर्भवती महिलाओं की संख्या	स्तनपान कराने वाली माताओं की कुल संख्या
1.	सोनीपत	सोनीपत	43484	55401	6871	7190
		जींद	40701	48549	7689	7900
2.	शिवहर	शिवहर	28847	39238	2639	2248
		सीतामढ़ी	135272	178018	13860	11687
		पूर्वी चंपारण	167368	223550	18395	13334
3.	भागलपुर	भागलपुर	106717	150573	12462	9230
4.	जम्मू	जम्मू	27963	18133	3194	4638
		राजौरी	17226	19705	1651	1886
		पूंछ	16554	17505	3019	2841
		सांबा	10345	6199	1361	1679
5.	अमरावती	अमरावती	81329	99026	12501	13326
6.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	135272	178018	13860	11687
7.	सिंहभूम	पश्चिमी सिंहभूम	78600	78531	10006	8245
		सरायकेला खरसावां	45798	44896	8115	6002

***संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिलों की मैपिंग की जानकारी भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त की गई है।**

ii. मिशन शक्ति

क. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

(31.02.2023 स्थिति के अनुसार)

क्रम सं	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *	जिला	नामांकित कुल लाभार्थी
1.	सोनीपत	सोनीपत	51539
		जींद	48698
2.	शिवहर	शिवहर	28136
		सीतामढ़ी	100646
		पूर्वी चंपारण	173905
3.	भागलपुर	भागलपुर	101981
4.	जम्मू	जम्मू	32196
		राजौरी	26170
		पूंछ	32196
		सांबा	11925
5.	अमरावती	अमरावती	90533
6.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	100646
7.	सिंहभूम	पश्चिमी सिंहभूम	41829
		सरायकेला खरसावां	32887

*संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिलों की मैपिंग की जानकारी भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त की गई है।

<u>अनुलग्नक- II</u>

दिनांक 02.02.2024 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 140 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

अपने प्रारंभ से नवंबर, 2022 तक मंत्रालय की योजनाओं के तहत आवंटित/जारी निधियों की मात्रा

(लाख रूपये में)

क्रम सं	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र *	जिला	बेटी बचाओं बेटी पढाओं	वन स्टॉप सेंटर
1.	सोनीपत	सोनीपत	75.35	74.53
		जींद	77.98	72.92
2.	शिवहर	शिवहर	30	82.27
		सीतामढ़ी	40	80.27
		पूर्वी चंपारण	25	82.77
3.	भागलपुर	भागलपुर	35.28	95.28
4.	जम्मू	जम्मू	103.64	72.60
		राजौरी	139.20	136.15
		पूंछ	78.52	30.92
		सांबा	104.26	23.41
5.	अमरावती	अमरावती	48.85	98.74
6.	सीतामढ़ी	सीतामढ़ी	40	80.27
7.	सिंहभूम	पश्चिमी सिंहभूम	20	104.67
		सरायकेला खरसावां	31.26	112.67

*संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जिलों की मैपिंग की जानकारी भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की वेबसाइट से प्राप्त की गई है।